संख्या-134/2018/2128/छप्पन-2018-40/17

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 11 दिसम्बर, 2018

विषय : राजकीय वायुयान किंग एयर बी-200जी0टी0 के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 सी0पी0 सिंह, पायलट (फिक्स्ड विंग) को दिनांक 18 जनवरी, 2019 से 05 फरवरी, 2019 तक एवं कैप्टन तापस गुहा, पायलट (फिक्स्ड विंग) को दिनांक 19 जनवरी, 2019 से 05 फरवरी, 2019 तथा कैप्टन काजिम रजा, पायलट (फिक्स्ड विंग) को दिनांक 08 फरवरी, 2019 से 27 फरवरी, 2019 (07 यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए) फ्लाइट सेफ्टी इन्टरनेशनल, विचिटा कंसास, यू0एस0ए0 की ट्रेनिंग फैसिलिटी में सिमुलेटर पर प्रो-लाइन 21 व इनिशियल ट्रेनिंग कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-397/ना0उ0वि0/उ0प्र0/आप्स-19/2015, दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 में किए गए प्रस्तावानुसार कै0 सी0पी0 सिंह, पायलट (फिक्स्ड विंग) एवं कैप्टन तापस गुहा, पायलट (फिक्स्ड विंग) तथा कैप्टन काजिम रजा, पायलट (फिक्स्ड विंग) को निम्नलिखित तालिकानुसार राजकीय वायुयान किंग एयर बी-200जी0टी0 के सिमुलेटर पर फ्लाइट सेफ्टी इन्टरनेशनल, विचिटा कंसास, यू0एस0ए0 की ट्रेनिंग फैसिलिटी में सिमुलेटर पर प्रो-लाइन 21 व इनिशियल ट्रेनिंग दी जानी है :-

क्र0सं0	पायलट	प्रशिक्षण की तिथि	प्रशिक्षण स्थल	प्रशिक्षण शुल्क
1	कैप्टन सी0पी0 सिंह	21 जनवरी, 2019 से 01 फरवरी, 2019 तक	फ्लाइट सेफ्टी इन्टरनेशनल, विचिटा कंसास, यू0एस0ए0	14,56,000/-
2	कैप्टन तापस गुहा	21 जनवरी, 2019 से 01 फरवरी, 2019 तक	फ्लाइट सेफ्टी इन्टरनेशनल, विचिटा कंसास, यू0एस0ए0	14,56,000/-
3	कैप्टन काजिम रजा	11 फरवरी, 2019 से 23 फरवरी, 2019	फ्लाइट सेफ्टी इन्टरनेशनल, विचिटा कंसास, यू0एस0ए0	14,56,000/-
कुल योग				43,68,000/-

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

उक्त तालिकानुसार पायलटगण को प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु फ्लाइट सेफ्टी इन्टरनेशनल, विचिटा कंसास, यू0एस0ए0 की ट्रेनिंग फैसिलिटी में अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर प्रशिक्षण दिए जाने की प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त फ्लाइट सेफ्टी इन्टरनेशनल, विचिटा कंसास, यू0एस0ए0 को कैप्टन सी0पी0 सिंह के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 18200 डॉलर रू0 80/- प्रति डॉलर की विनिमय दर से जो भारतीय मुद्रा में कुल रू0 14,56,000/- (रूपए चौदह लाख छप्पन हजार मात्र) विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 5,82,800/- (रूपए पांच लाख बयासी हजार आठ सौ मात्र) एवं कैप्टन तापस गुहा के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 18200 डॉलर रू0 80/- प्रति डॉलर की विनिमय दर से जो भारतीय मुद्रा में कुल रू0 14,56,000/- (रूपए चौदह लाख छप्पन हजार मात्र) विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 5,82,800/- (रूपए पांच लाख बयासी हजार आठ सौ मात्र) तथा कैप्टन काजिम रजा के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 18200 डॉलर रू0 80/- प्रति डॉलर की विनिमय दर से जो भारतीय मुद्रा में कुल रू0 14,56,000/- (रूपए चौदह लाख छप्पन हजार मात्र) विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 6,08,800/- (रूपए छः लाख आठ हजार आठ सौ मात्र) अर्थात् प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त होने वाले कुल व्यय रू0 61,42,400/- (रूपए इकसठ लाख बयालीस हजार चार सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति दी जानी है। अतः श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2018-19 में कै0 सी0पी0 सिंह एवं कैप्टन तापस गुहा तथा कैप्टन काजिम रजा, पायलट (फिक्स्ड विंग) को उपरोक्त तालिका में उल्लिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमानुसार फ्लाइट सेफ्टी इन्टरनेशनल, विचिटा कंसास, यू0एस0ए0 में प्रशिक्षण कराए जाने की स्वीकृति एवं प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 43,68,000/- (रूपए तैतालीस लाख अड़सठ हजार मात्र) (प्रति पायलट 14,56,000/-की दर से तथा रू0 80/- प्रति डॉलर की विनिमय दर से) तथा विदेश यात्रा व्यय एवं वायुयान किराया आदि पर होने वाले व्यय रूपये 17,74,400/- (रूपए सत्रह लाख चौहत्तर हजार चार सौ मात्र) (कैप्टन सी0पी0 सिंह तथा कैप्टन तापस गुहा के विदेश यात्रा व्यय हेतु प्रत्येक हेतु रू0 5,82,800/- तथा कैप्टन काजिम रजा के विदेश यात्रा व्यय हेतु रू0 6,08,800/-) अर्थात् कुल रूपये रू0 61,42,400/- (रूपए इकसठ लाख बयालीस हजार चार सौ मात्र) होता है, के व्यय हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- राज्यपाल महोदय उक्त धनराशि में से 54600 डॉलर (पायलटगण का प्रशिक्षण शुल्क) जो भारतीय मुद्रा में रूपये 80/- प्रति डॉलर की विनिमय दर से रूपये 43,68,000/- (रूपए तैतालीस लाख अड़सठ हजार मात्र) होता है को प्रशिक्षण प्राप्त करने के पूर्व फ्लाइट सेफ्टी इन्टरनेशनल, विचिटा कंसास, यू0एस0ए0 की ट्रेनिंग फैसिलिटी को वायर ट्रांसफर के द्वारा अग्रिम भुगतान करने की अनुमति भी प्रदान करते हैं।

3- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या ए-1-2774/ दस-15(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10.6.2011 तथा शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1) दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- निर्माता कम्पनी फ्लाइट सेफ्टी इन्टरनेशनल, विचिटा कंसास, यू0एस0ए0 की ट्रेनिंग फैसिलिटी को तत्समय के विनिमय दर से भुगतान करने के पश्चात जो भी धनराशि अवशेष रह जाएगी, उसे मार्जिन मनी एकाउन्ट में जमा कर दिया जाय। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार स्वीकृत धनराशि के आहरण, भुगतान एवं समायोजन में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि में से नियमानुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आदि के भुगतान तत्समय के दर से करने के पश्चात यदि धनराशि अवशेष बच जाती है तो उसे तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

6- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाए तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आँकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

7- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक ''2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:ई-7-1051/दस-2018, दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

9- उक्त प्रशिक्षण का परिणाम/प्रशिक्षण के उपरान्त लाइसेन्स पर पृष्ठांकनोपरान्त लाइसेन्स की प्रति और अन्य सम्बन्धित अभिलेख पायलट की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित करने/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव

संख्या-134/2018/2128(1)/छप्पन-2018 तद्दिनांक।

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी] जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित अधिकारी।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।